झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 7/नि॰–04–19/2019 ज॰स॰– /राँची, दिनांक :– ....

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

विषय :– **झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्यादेश पंजी तथा संवेदकों की गोपनीय पंजी का Online संधारण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 की कंडिका–6.4 में कार्यादेश पंजी (परिशिष्ट–ग) तथा कंडिका–13 में संवेदकों की गोपनीय पंजी (परिशिष्ट–घ) के संधारण किए जाने का उल्लेख है।

2. संवेदकों का निबंधन/नवीकरण के लिये विकसित विभागीय वेबसाइट https://wrdreg.jharkhand.gov.in/ में सभी कार्य प्रमंडलों द्वारा कार्यादेश पंजी (परिशिष्ट–ग) तथा संवेदकों की गोपनीय पंजी (परिशिष्ट–घ) के Online संधारण करने हेतु प्रावधान किया गया है।

यह पाया गया है कि वर्त्तमान में इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 में निहित प्रावधानों के सख्ती से अनुपालन हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते है :

2.1 सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंतागण द्वारा Default Password (reset_123) से login कर Password Change करते हुये प्रमंडल में कार्यरत् संवेदकों की कार्यादेश पंजी (परिशिष्ट–ग) में यथावांछित सूचनाएँ अंकित की जाएँ। साथ ही, निमयावली की कंडिका–13 में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदकों का गोपनीय प्रतिवेदन भी परिशिष्ट–''घ'' में Online संधारित किया जाए।

2.2 निमयावली की कंडिका–6.4 में निहित प्रावधान के आलोक में इस विभाग में निबंधित समस्त संवेदक के Login में भी कार्यादेश पंजी (परिशिष्ट–ग) के Online संधारण हेतु प्रावधान किया गया है, जिसे विभागीय Login में भी देखा जा सकता है। अतएव सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंतागण प्रमण्डलाधीन कार्यरत् सभी संवेदकों को एतद् संबंधी जानकारी देते हुये संवेदकों से कार्यादेश पंजी (परिशिष्ट–ग) का Online संधारण करने हेतु निदेशित करेंगे।

2.3 नियमावली की कंडिका–6.5 में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदकों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण हेतु प्रमंडलीय स्तर पर त्रैमासिक एवं अंचल स्तर पर अर्द्धवार्षिक बैठकें आयोजित की जाए।

संवेदकों की मांग पर मुख्य अभियंता के स्तर पर भी ऐसी बैठकें आयोजित की जाए।

2.4 कार्यादेश पंजी तथा संवेदकों की गोपनीय पंजी के आलोक में नियमावली की कंडिका–12 में निहित प्रावधान के आलोक में निबंधित संवेदकों के कार्य कलापों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जायेगी।

उक्त निदेशों का सख्ती से दिनांक 31.08.2019 तक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु॰– परिशिष्ट–''ग'' एवं परिशिष्ट–''घ''

विश्वासभाजन,

ह॰/–

अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

कृ॰पृ॰उ॰

ज्ञापांक :– 7/नि०–04–19/2019 ज०स०– /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 7/नि०–04–19/2019 ज०स०– /राँची, दिनांक :– ....

प्रतिलिपि :– अभयंता प्रमुख–I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 7/नि०–04–19/2019 ज०स०– 4244 /राँची, दिनांक :– 06/08/19

प्रतिलिपि :– वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–I–सह निबंधन पदाधिकारी

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।